कार्यालय-जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू

आवश्यक सूचना (विज्ञापन सं0 – 01/पलामू/2017)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई.) के अंतर्गत प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत स्थानों पर नामांकन पूर्ण करने के संबंध में

निःशुल्क एवं अनवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.2016 के अनुपालन में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर पड़ोस के (क्रमशः 1 कि.मी., 3कि.मी., अंततः 6कि. मी. दूरी सीमा तक) अभिवंचित समूह (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त बच्चे एवं अनाथ बच्चे) एवं कमजोर वर्ग (जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 72,000/– से कम हो) के बच्चों को नामांकन पूर्ण किया जाना है।

अभिभावकों की सुविधा के लिए सूचित किया जाता है कि (क) पास पड़ोस की दूरी सीमा का निवासी होने के लिए पालक/अभिभावक का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, जिसमें उनका नाम एवं निवास का पता अंकित हो, मान्य होंगे, (ख) अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग की मान्यता के लिए पालक/अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र, निःशक्त बच्चे के लिए चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं आय के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, (ग) नर्सरी/एल.के.जी. में नामांकन हेतु उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच एवं प्रवेश कक्षा 1 में नामांकन हेतु 5 वर्ष 6 माह से 7 वर्ष के बीच होगी एवं (घ) आवेदन सीधे–सीधे पड़ोस के निजी विद्यालय जिसमें उस कक्षा में नामांकन हेतु सीटें रिक्त है, में ही बच्चे के उम्र अनुसार किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 15 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2017 तक किया जा सकता है, जिसे संबंधित विद्यालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

नामांकन के उपरांत संलग्न किए गए प्रमाण–पत्रों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाएगा अतएव कोई भी गलत प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने की पूरी पूरी जवाबदेही संबंधित पालक/अभिभावक की होगी। आवेदन की होगी। आवेदन हेतु तालिका के कॉलम 7 में 25 प्रतिशत रिक्त सीटों की संख्या एंव कॉलम 3 में वर्ग का नाम अंकित है।

क्र0	विद्यालय का नाम	प्रखण्ड	एल0के0जी0 कक्षा सामर्थ्य सीट	बी0पी0एल0 छात्र/छात्रा के लिए आरक्षित सीट (25 प्रतिशत)	रजिस्ट्रेशन
1	आदित्य बिड़ला पब्लिक स्कूल, रेहला	विश्रामपुर	60	15	सी0बी0एस0सी0
2	विमला पाण्डेय ज्ञान निकेतन, बैरिया	सदर मेदिनीनगर	90	23	सी0बी0एस0सी0
3	एम0के0डी0ए0भी0 स्कूल चियांकी	सदर मेदिनीनगर	120	30	सी0बी0एस0सी0
4	एलिट पब्लिक स्कूल, चियांकी	सदर मेदिनीनगर	40	10	सी0बी0एस0सी0
5	रोटरी स्कूल (आनन्द शंकर), चैनपुर	चैनपुर	25	06	सी0बी0एस0सी0
6	ब्राईट लैण्ड स्कूल, बाईपास रोड	सदर मेदिनीनगर	40	10	सी0बी0एस0सी0
7	हेरिटेज इन्टर नेशनल स्कूल, चियांकी	सदर मेदिनीनगर	60	15	सी0बी0एस0सी0
	कुल –		435	109	

नोट :-

1. यदि किसी अन्य विद्यालय की मान्यता (अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर) सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/आर0टी0ई0 के अंतर्गत जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू कार्यालय से प्राप्त हुई है एवं उनका नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं है, तो वे भी प्रवेश कक्षा का 25 प्रतिशत स्थान, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत सुरक्षित रखेंगे एवं विवरण अविलंब कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
2. उपर्युक्त किसी भी विद्यालय में एक से अधिक प्रवेश कक्षा हो तो दोनो प्रवेश कक्षा का योग का 25 प्रतिशत स्थान पर प्रथम कक्षा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा अतएव दूसरी सूचना के प्रकाशन में 25 प्रतिशत स्थानों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
3. कृपया प्रत्येक विद्यालय पुनः 10 दिनों में प्रवेश कक्षा का नाम, कुल स्थान एवं 25 प्रतिशत स्थान का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. दिनांक 15 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2017 तक उपर्युक्त सभी विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत स्थानों पर नामांकन हेतु आवेदन प्राप्त करते हुए अगले तीस दिनों में नामांकन संबंधित विद्यालयों द्वारा ही पूर्ण किया जाएगा तथा दिनांक 31 जनवरी 2017 तक जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के कार्यालय में नामांकन से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. उपर्युक्त सभी विद्यालयों में 25 प्रतिशत स्थानों पर शत प्रतिशत नामांकन पूर्ण होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू कार्यालय द्वारा अद्यतन विवरण/सूचना का समाचार पत्र में पुनः प्रकाशन 10 फरवरी 2017 तक प्रकाशित करते हुए रिक्त स्थानों हेतु संबंधित विद्यालयों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा एवं 28 फरवरी 2017 तक शत प्रतिशत नामांकन पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद भी रिक्ति की स्थिति में मार्च 2017 के प्रथम सप्ताह में समीक्षा की जाएगी।
6. इच्छुक अभिभावकों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि अपने पाल्य के नामांकन हेतु उसी विद्यालय में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे जो उनके पास पड़ोस (क्रमशः 1 कि.मी., 3 कि.मी., अंततः 6 कि. मी. दूरी सीमा तक) में अवस्थित है तथा जहां उनके पाल्य के उम्र अनुरूप प्रवेश कक्षा की सुविधा उपलब्ध है। कृपया अलग-अलग विद्यालय में माता/पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का अलग अलग घोषणापत्र अथवा वास्तविक से कम उम्र के प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन के अवैध प्रयास में सम्मिलित नहीं होंगे।

13/1

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पलामू

13/01/17

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी,
पलामू

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीट पर अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु आवेदन–पत्र

बच्चों का फोटो

पंजीकरण संख्या –
(विद्यालय द्वारा भरा जाएगा)
(क) अभिवंचित वर्ग – (ख) कमजोर वर्ग –
(जो लागू हो)

1. विद्यालय का नाम – ....
(पूरा पता सहित)
2. निवास स्थान के विद्यालय की दूरी– ....
3. प्रवेश कक्षा – ....
4. बच्चे का नाम – ....
क) जन्म तिथि – दिन .... माह .... वर्ष ....
ख) जन्म तिथि (शब्दों में) – ....
5. 31 मार्च 20.... करे आयु (शब्दों में) – ....
6. माता का नाम – ....
7. पिता का नाम – ....
8. अभिभावक का नाम – ....
(यदि लागू हो तो)
9. अभिभावक का व्यवसाय – ....
(यदि लागू हो तो)
10. वर्तमान आवासीय पता – ....
11. माता–पिता/अभिभावक का फोन सं0– ....
क) मोबाईल नम्बर – ....
ख) लैंडलाईन नम्बर – ....
12. अभिभावक का आधार सं0 – ....
(यदि लागू हो तो)
क) माता – ....
ख) पिता – ....
13. माता/पिता दोनो की कुल आय – ....
(सभी स्त्रोंतो द्वारा)
14. आय का प्रमाण–पत्र – ....
15. वंचित समूह का प्रमाण–पत्र – ....
16. निःशक्तता प्रमाण–पत्र – ....
17. अनाथ होने का प्रमाण–पत्र – ....

माता/पिता का घोषणा –

मैं .... माता/पिता .... (बच्चे का नाम) द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त जानकारी सत्य एवं सही है। यदि सत्यापन करने पर कोई जानकारी झूठी असत्य पाई जाती है तो मेरे बच्चे का प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

दिनांक ....

माता/पिता का नाम एवं हस्ताक्षर

....

निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करें -

* जन्म प्रमाण-पत्र का प्रमाण -

1. जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जन्म प्रमाण-पत्र।
2. अस्पताल/सहायक नर्स ओर मिडवाइफ (एएनएम) रजिस्टर अभिलेख।
3. आंगनबाड़ी अभिलेख।
4. माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का घोषणा-पत्र।

** आवास प्रमाण-पत्र का प्रमाण -

1. बच्चे का नाम वाले पिता/माता के नाम पर जारी राशन कार्ड।
2. बच्चे का या उसके माता-पिता के निवास का प्रमाण-पत्र।
3. माता-पिता में से किसी एक का निवास का प्रमाण-पत्र।
4. बिजली बिल/टेलीफोन बिल।
5. आधार कार्ड/जॉब कार्ड।

*** आय प्रमाण-पत्र का प्रमाण -

1. अंचलाधिकारी/मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र
2. बीपीएल राशन कार्ड

**** अभिवंचित वर्ग का प्रमाण -

1. उपायुक्त/अनुमण्डलाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
2. सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण-पत्र यदि निःशुक्त हो।
3. अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी/मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।